

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2025—माघ 3, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र. एफ 3-3-4-0001-2025-1-सत्रह.- मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में.-

- (1) नियम 1 में, उप-नियम (1) में, शब्द "शिक्षा" के स्थान पर, शब्द "शिक्षण" स्थापित किया जाए।
- (2) अनुसूची-एक में, कालम (3) में,-
 - (एक) अनुक्रमांक 1 में, खण्ड (दो) में, शब्द "व हिन्दी" का लोप किया जाए।
 - (दो) अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"4.	पी.बी-बी.एससी.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रवर्ग एवं श्रेणी,-	
	(एक)	हायर सेकेण्डरी या सीनियर सेकेण्डरी या इंटरमीडियट अथवा 10+2 अथवा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1986 को या उसके पूर्व 10+1 किया हो, प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	
	(दो)	जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो तथा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में आर.एन.आर.एम. के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।	
	(तीन)	मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में नर्स के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के अलावा नवीन समेकित पाठ्यक्रम के लागू होने के पूर्व प्रशिक्षित कोई पुरुष नर्स, निम्न में से किसी एक क्षेत्र में, मिडवाइफरी के बदले समान अवधि के लिए भारतीय नर्सिंग काउन्सिल द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-	
	(क)	ओ.टी. तकनीक	
	(ख)	नेत्र (ओपथेल्मिक) नर्सिंग	
	(ग)	कुष्ठ रोग (लेप्रसी) नर्सिंग	
	(घ)	टीबी नर्सिंग	
	(ङ)	मनोरोग (साइकियाट्रिक) नर्सिंग	
	(च)	न्यूरोलाजिकल तथा न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग	
	(छ)	कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग	
	(ज)	कैंसर नर्सिंग	
	(झ)	आर्थोपेडिक नर्सिंग	

		वर्णाध अभ्यर्थी पात्र है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा रंग सुधारात्मक (कलर करेक्टिव) कान्टैक्ट लेंस और चश्मा पहना गया हो।	
	(चार)	अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए।	
	(पांच)	आरक्षित प्रवर्गों, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।”।	

(तीन) अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

“5.	एम.एससी. (नर्सिंग)	1. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा रजिस्ट्रीकृत मिडवाइफ या समकक्ष होना चाहिए।	
		2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ, बी.एससी. नर्सिंग/बी.एससी. ऑनर्स नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग उत्तीर्ण होगी।	
		3. अभ्यर्थी ने बी.एससी. नर्सिंग/बी.एससी. ऑनर्स नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की हो।	
		4. बेसिक बी.एससी. नर्सिंग के पश्चात् न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव।	
		5. आरक्षित प्रवर्ग के लिए 5 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।”।	

F-3-3-4-0001-2024-1-XVII (PHF)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with section 24 of the Madhya Pradesh Upcharika, Prasvika, Sahai Upcharika-Prasavika Swasthya Paridarshak Registrikaran Adhiniyam, 1972 (No. 46 of 1973), the State Government, hereby, makes the following makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nursing Educational Institution Admission Rules, 2024, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) In rule 1, in sub-rule (1), for the word "Education", the word "Educational" shall be substituted.
- (2) In Schedule-I, in column (3),-
 - (i) in serial number 1, in clause (ii), the words "and Hindi" shall be omitted.
 - (ii) for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"4.	P.B-B.Sc.	The category and class as laid down by the Department of Public Health and Medical Education, from time to time,-	
		(i)	Must have passed Higher Secondary or Senior or Intermediate or 10+2 or and

			equivalent examination recognized by the University for this purpose. Those who have done 10+1 on or before 1986, shall be eligible for admission.	
		(ii)	Must have obtained a certificate in General Nursing and Midwifery and registered as R.N.R.M. with the Madhya Pradesh Nurses Registration Council.	
		(iii)	A male nurse, trained before the implementation of the new integrated course beside being registered as a nurse with Madhya Pradesh Nurses Registration Council shall produce evidence of training approved by the Indian Nursing Council for a similar duration in lieu of midwifery in any one of the following areas, namely:-	
			(a) O.T. Techniques	
			(b) Ophthalmic Nursing	
			(c) Leprosy Nursing	

		(d)	TB Nursing	
		(e)	Psychiatric Nursing	
		(f)	Neurological and Neurosurgical Nursing	
		(g)	Community Health Nursing	
		(h)	Cancer Nursing	
		(i)	Orthopaedic Nursing	
			Colour blind candidates are eligible provided that colour corrective contact lens and spectacles are worn by such candidate.	
		(iv)	Candidate should be medically fit.	
		(v)	5% relaxation shall be given for reserved categories i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others Backward Classes.”.	

(iii) for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“5.	M.Sc. (Nursing)	1. The candidate should be a Registered Nurse and Registered Midwife or equivalent with Madhya	
-----	--------------------	--	--

		<p>Pradesh Nurses Registration Council.</p> <p>2. The minimum educational qualification shall be the passing of B.Sc. Nursing/B.Sc. Hons. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with minimum of aggregate marks.</p> <p>3. The candidate should have undergone in B.Sc. Nursing/B.Sc. Hons. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing .</p> <p>4. Minimum one year of work experience after Basic B.Sc. Nursing.</p> <p>5. 5% relaxation shall be available for reserved category.”:</p>	
--	--	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.